



झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या- 08 / 2025

झारखण्ड इन्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक
शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा - 2025
(नियमित भर्ती)

JIGTSEATCCE-2025

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या – 5730 (अनु.), दिनांक-25.09.2025 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग के पत्रांक-1877, दिनांक-24.09.2025 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखण्ड इन्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025” के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

(क) परीक्षा शुल्क रू. 100/- (सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट-झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 50/- (पचास रुपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8559, दिनांक-23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. रिक्तियों का विवरण :-

(क) इन्टर प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा-1 से 5)

क्र. सं.	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राँची	1.अनारक्षित	74	4	3	2	2	2	2
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	68	3					
		3.अनुसूचित जाति	9	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-1)	9	0					

5. कंडिका-3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	इण्टर प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 1 से 5)	लेवल- 4 25,500/ - से 81,100/ -	<p>I. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य-शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता में +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र/वर्ष अनुरूप 50% [अथवा 45% जो दिनांक-09.12.2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों] अंको के साथ उत्तीर्णता के अतिरिक्त विशेष शिक्षा में निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हो:-</p> <p>किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XIIth passed and 2 years D.Ed Special Education in any of the categories of disability) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक- वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate Course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate Course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह का Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>बहुराजन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोम (Junior Diploma in</p>

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
			<p>Teaching the Deaf.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary Level Teacher Training course in Visual Impairment.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>(Diploma in Vocation Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>अथवा</p> <p>(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>एवं</p> <p>I. भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकरण।</p> <p>II. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।</p>
2.	<p>स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)</p> <p>गणित एवं विज्ञान शिक्षक—निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक (विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा) (क) गणित (ख) भौतिकी (ग) रसायन शास्त्र (घ) वनस्पति विज्ञान (ङ) प्राणी विज्ञान।</p>	<p>लेवल- 5</p> <p>29,200 /</p> <p>— से</p> <p>92,300 /</p> <p>—</p>	<p>स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8 में) के लिए शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता में प्रशिक्षण सत्र/वर्ष के अनुरूप 50% [अथवा 45% जो दिनांक-29.07.2011 से पूर्व प्रारंभ स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो] अंको के साथ संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी—</p> <p>Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No.</p> <p>OR</p> <p>B.Ed. (General) with one year Diploma in Special Education/ B.Ed. (General) with Two year Diploma in Special Education with a recognized qualification (certificate/Diploma) from a RCI approved institution</p>
3.	<p>स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)</p> <p>सामाजिक विज्ञान शिक्षक—निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)</p>		

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
	(क) इतिहास (ख) भूगोल (ग) राजनीति विज्ञान (घ) अर्थशास्त्र (ङ) समाज शास्त्र (च) लेखा शास्त्र (छ) व्यापार अध्ययन		equivalent to B.Ed in Special Education and possess a valid CRR No. OR B.Ed. (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education(PGPD)/ B.Ed. (Special) Post Graduate Professional Certificate in Special Education(PGPC)/ (PG Diplomain Special Education(Mental Retardation)/PG Diploma in Special Education (Miltiple Disability:Physical & Neurological)/ PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and cerebral Palsy)/Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment/Senior Diploma in Teaching the Deaf/BA B.Ed. in visual Impairment and possess a valid RCI CRR No.ith a recognized qualification.
4.	स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) भाषा शिक्षक- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण।		एवं I. भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकरण। II. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (ii) अभ्यर्थी जिस विषय/ विषय समूह एवं कोटि से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/ विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर विशेष सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे।

- (iii) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-‘ग’ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र.सं.	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	2	3
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है।

6. I. अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा- उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :-

न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2
01.08.2025	01.08.2025

- (क) न्यूनतम उम्र सीमा - 21 वर्ष
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा -
- (i) अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 40 वर्ष।
- (ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) - 42 वर्ष।
- (iii) महिला [अनारक्षित, आ.क.व., अ.पि.व. (अनु.-1) एवं पि.व. (अनु.-2)] - 43 वर्ष।
- (iv) अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) - 45 वर्ष।
- (v) अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 45 वर्ष।
- (ग) सभी कोटा के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्वद से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त "ग" या "ङ" में कोई एक ही मान्य होगा।

6. II. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, को संविदा कर्मों के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व किसी भी आरोप या अनियमितता के कारण संविदा रद्द हो गई हो उनपर यह छूट लागू नहीं होग। उम्र सीमा की छूट विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- XIII) में निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर मान्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:-

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- XI) उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका-(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

8. I. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिका-5, 6, 7 एवं 8 में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

9. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752, दिनांक-19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IX पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. (II) जाति प्रमाण पत्र-

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा सं गोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट- III पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है। किन्तु

17. मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम :-

(क) इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम:- मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 03 पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2/इण्टर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र-1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति) (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत)	100	100	2:00 घंटे
पत्र-2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा - हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा) /हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा	100	100	2:00 घंटे
पत्र-3	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी -50 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा को संदर्भ में दिव्यांगतावार)-50	100	100	3:00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान-	50	50	
	(iii) विज्ञान एवं गणित-	50	50	
कुल		300+	300+	
		100 (अर्हक प्रवृत्ति)	100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट:- पत्र-1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेघा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :-

- क) पत्र-1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) पत्र-2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XII पर धारित है। इस विषय (शिक्षक पात्रता नियमावली में अधिसूचित जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा) में 33 प्रतिशत लाना अनिवार्य है।
- ग) पत्र-3 के खण्ड (i) में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 17 (घ) (i से vi) तथा पत्र-3 के खण्ड (ii) एवं (iii) में अंकित विषय के अन्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा

1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा। तीनों खण्डों में अंकित विषयों में प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत लाना अनिवार्य है।

घ) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी :-

(i) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ii) सामान्य विज्ञान:-

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(iii) सामान्य गणित:-

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(iv) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं -सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(v) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:-

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(vi) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

17. (ख) स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम:- मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 04 पत्र होंगे। यह परीक्षा चार पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र-1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति) (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत)	100	100	2:00 घंटे
पत्र-2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा - हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
पत्र-3	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-50 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा को संदर्भ में दिव्यांगतावार)-50	100	100	2:00 घंटे
पत्र-4	वैकल्पिक विषय (कोई एक)-			
(I)	गणित एवं विज्ञान शिक्षक-(i) गणित (ii) भौतिकी (iii) रसायनशास्त्र (iv) वनस्पति विज्ञान तथा (v) प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खण्ड से ही उत्तर दे सकेंगे) नोट:-उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।	180	180	3:00 घंटे
(II)	सामाजिक विज्ञान शिक्षक-(i) इतिहास (ii) भूगोल (iii) राजनीति विज्ञान (iv) अर्थशास्त्र (v) समाज शास्त्र (vi) लेखा शास्त्र (vii) व्यापार शास्त्र अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खण्डों में विभक्त होगा जिसमें किसी तीन खण्डों को ही	180	180	

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
	उत्तर देना होगा। नोट:— उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।			
(III)	भाषा शिक्षक— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-1427, दिनांक-10.03.2023 द्वारा अधिसूचित भाषा—हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरटा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट:—उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।	180	180	
	कुल	380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट:— पत्र-1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :-

- क) पत्र-1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) पत्र-2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XIII पर धारित है।
- ग) पत्र-3 का पाठ्यक्रम इण्डटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किन्तु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा।
- घ) पत्र-4 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XIV पर धारित है।
- ङ) पत्र-4 के अन्तर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XIII के अनुरूप होगा।

18. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ii) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ जाति प्रमाण/स्थानीय प्रमाण/अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।
- (iv) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड सरकार द्वारा तय मापदण्डों के अनुरूप की जायेगी।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-
- (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 40 (चालीस) प्रतिशत
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला- 32 (बत्तीस) प्रतिशत
- (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -(अनुसूची-1) – 34 (चौत्तीस) प्रतिशत
- (iv) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 – 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
- (v) आदिम जनजाति – 30 (तीस) प्रतिशत
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।
- (vi) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।